संख्याः 721 XX(5)/25-03(10)2024-TC-III

प्रेषक,

निवेदिता कुकरेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला नोडल अधिकारी (UCC),
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–5 देहरादून, दिनांक 22 मई 2025

विषयः समान नागरिक संहिता (यू0सी0सी0) लागू होने से पूर्व संपादित विवाहों के पंजीकरण हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक यह संज्ञान में आया है कि समान नागरिक संहिता (यू0सी0सी0) लागू होने से पूर्व संपादित ऐसे विवाहों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें विवाह के समय एक या दोनों पक्ष संहिता की धारा 4(iii) में निर्धारित न्यूनतम आयु–सीमा से कम आयु के थे। इस संबंध में जनपदों से आवेदनों के निस्तारण हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की अपेक्षा व्यक्त की गई है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ऐसे मामलों के समुचित एवं त्वरित निस्तारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा समान नागरिक संहिता, 2024 की **धारा 24(2)(क)–उपधारा (1) के खंड(ख) में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण नहीं की जायेगी यदि याचिकाकर्ता द्वारा इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात कार्यवाही योजित की गई हो**, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचित एवं तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(निवेदिता कुकरेती)
अपर सचिव।

संख्याः XX(5)/25-03(10)2024-TC-III तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, सामान्य नागरिक सहिंता (UCC), उत्तराखण्ड।

(निवेदिता कुकरेती)
अपर सचिव।